"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2012—चैत्र 8, शक 1934

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-13/आठ-परि./2012.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 95 सहपठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इनसे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव, (परिवहन) छत्तीसगढ़ शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, (कक्ष क्र. 384), मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 74 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(4) किसी विधि न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी सामान्य अथवा विशेष स्थगन आदेश, रोक अथवा प्रतिबंध के अध्यधीन

रहते हुए सामान्य रूप से अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन का नीचे दी गई अवधि में निपटारा किया जाएगा :—

स. क्र.	आवेदन का विवरण	आवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि से उसके निपटारा करने के लिए विहित समय
(1)	(2)	(3)
(एक)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-42 में प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के स्वीकृति अथवा प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन,	60 दिवस
(दो)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-42 में प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण अथवा प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन,	60 दिवस
(तीन)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-42 में प्रक्रम वाहन अनुज्ञापत्र के स्वीकृति अथवा नवीनीकरण का आवेदन,	60 दिवस
(चार)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-43 में संविदा वाहन अनुज्ञापत्र के स्वीकृति अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन,	60 दिवस
(पांच)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-44 में माल वाहन अनुज्ञापत्र का आवेदन,	15 दिवस
(छः)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-46 में निजी सेवा यान/शैक्षणिक संस्था की बस के अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन,	15 दिवस
(सात)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-47 में विशेष अनुज्ञापत्र का आवेदन,	07 दिवस
(आठ)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-55 में माल वाहन के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन,	15 दिवस
(नौ)	केन्द्रीय मोटर यान नियम के प्ररूप-45 में पर्यटक यान अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन,	120 दिवस
(दस)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-45 में मोटरयान अधिनियम की धारा 87(1) (क) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र का आवेदन,	07 दिवस
(ग्यारह)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-45 में मोटरयान अधिनियम की धारा 87(1) (ख) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र का आवेदन,	07 दिवस
(बारह)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-45 में मोटरयान अधिनियम की धारा 87(1) (ग) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र का आवेदन,	30 दिवस
(तेरह)	प्ररूप-सीजीएमव्हीआर-45 में मोटरयान अधिनियम की धारा 87(1) (घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञापत्र का आवेदन,	07 दिवस
(चौदह)	मूल अनुज्ञापत्र/अस्थायी अनुज्ञापत्र पर वाहन के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन,	15 दिवस
(पन्द्रह)	अनुज्ञापत्रधारी की मृत्यु पश्चात् नियमित अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन,	60 दिवस
(सोलह)	अन्य प्रकरणों में नियमित अनुज्ञापत्र के अन्तरण के लिए आवेदन,	60 दिवस

(1)	(2)	(3)
(सत्रह)	अनुज्ञापत्र की किसी शर्त में परिवर्तन अथवा समय-चक्र परिवर्तन के लिए आवेदन,	30 दिवस
(अट्ठारह)	मोटरयान अधिनियम की धारा 93(1) (i) के अधीन सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्री के लिए टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की अन्य रूप में याचना करने हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन,	45 दिवस
(उन्नीस)	मोटरयान अधिनियम की धारा 93(1) (ii) के अधीन माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारबार में अभिकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन.	60 दिवस"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्रमांक एफ 5-13/आठ-परि./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 28th March 2012

NOTIFICATION

No. F 5-13/VIII-Tr./2012.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 read with Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212, of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours by the office of Principal Secretary, (Transport), Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, (Room No. 384), Mantralaya, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. After sub-rule (3) of rule 74, the following sub-rule shall be added, namely :—

"(4) Subject to any general or special stay order, injunction or restriction issued by any court of law or tribunal, normally the application for permit shall be disposed off in the period mentioned below :—

S. No. (1)	Particulars of application (2)	Prescribed time for disposal of application from the date of submission thereof (3)
(i)	Application for grant or Counter signature of Stage carriage permit in Form-CGMVR-42,	60 days

(1)	(2)	(3)
(ii)	Application for renewal or Counter signature of Stage carriage permit in Form-CGMVR-42,	60 days
(iii)	Application for grant or renewal of reserve Stage carriage permit in Form-CGMVR-42,	60 days
(iv)	Application for grant and renewal of Contract carriage permit in Form-CGMVR-43,	60 days
(v)	Application for goods carriage permit in Form-CGMVR-44,	15 days
(vi)	Application for private service vehicle/educational institution bus permit in Form-CGMVR-46,	15 days
(vii)	Application for special permit in Form-CGMVR-47,	07 days
(viii)	Application for national permit for goods vehicle in Form-CGMVR-55,	15 days
(ix)	Application for tourist vehicle permit in Form-45 of CMV, Rules,	120 days
(x)	Application for temporary permit under Section 87(1) (a) of MV Act, in Form-CGMVR-45,	07 days
(xi)	Application for temporary permit under Section 87(1) (b) of MV Act, in Form-CGMVR-45,	07 days
(xii)	Application for temporary permit under Section 87(1) (c) of MV Act, in Form-CGMVR-45,	30 days
(xiii)	Application for temporary permit under Section 87(1) (d) of MV Act, in Form-CGMVR-45,	07 days
(xiv)	Application for replacement of vehicle on Substantive permit/ Temporary permit,	15 days
(xv)	Application for transfer of regular permit after the death of permit holder,	60 days
(xvi)	Application for transfer of regular permit in other cases,	60 days
(xvii)	Application for variation of any condition of permit or change of timing,	30 days
(xviii)	Application for issuing of licence as an agent or a canvasser, in the sale of tickets for travel by public service vehicles or in otherwise soliciting customers for such vehicles under Section-93(1) (i) of MV Act,	45 days
(xix)	Application for issuing of licence as an agent in the business of collecting, forwarding or distributing goods carried by goods carriage, under Section 93(1) (ii) of MV Act.	60 days"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.